(145)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 2241-दो/2015 निगरानी - विरूद्ध - आदेश दिनांक 22-6-2015 - पारित व्दारा - अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन - प्रकरण क्रमांक 459/13-14 अपील

हाजी लियाकत अली बल्द स्व.हाजी मोहम्मद अली
निवासी 41 - जान्सापुरा उज्जैन, तहसील उज्जैन
जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- कब्रस्तान जूना सोमवारिया व्दारा डा.शाहित कुरेशी
बल्द फजलउद्वीन, 18- के.डी.गेट उज्जैन
2- श्रीमती हज्जानी मरयमबी पत्नि स्व.हाजी मोहम्मद अली
3- शौकत अली बल्द स्व.हाजी मोहम्मद अली
दोनों निवासी 41 - जान्सापुरा उज्जैन
4- मुख्तार हुसैन बल्द इनायत हुसैन
5- मंजूर हुसैन बल्द शाकिर हुसैन
6- जाकिर हुसैन बल्द मोहम्मद हुसैना खालवाला
7- साहबउद्वीन बल्द मोहम्मद हुसैना खालवाला
8- इस्त्यार हुसैन बल्द इनायत हुसैन खालवाला
9- आरिफ हुसैन बल्द सेठ मोहम्मद हुसैन खालवाला
9- उम्मानगनी बल्द मोहम्मद हुसैन खालवाला
सभी निवासी हम्मलवाड़ी तहसील व जिला उज्जैन
10-स्टेट आफ मध्य प्रदेश
11-मोहम्मत हुसैन बल्द नूर मोहम्मद खालवाला
निवासी हम्मालवाड़ी तहसील व जिला उज्जैन

(आवेदक के अभिभाषक श्री सन्देश परिहार)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री शाहिद कुरेशी सूचना उपरांत अनुपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 18-04-2019 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 66/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल के पत्र कमांक आर-2/ 111/6992 दिनांक 12-7-2000 के कम में कलेक्टर उज्जैन द्वारा तहसीलदार उज्जैन को पत्र दिनांक 31-8-2000 लिखा गया कि कस्वा उज्जैन स्थित भूमि सर्वे नंबर 726 रकबा 5-204 हैक्टर में से 4-180 हैक्टर आबादी एंव 1-024 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) कब्रस्तान जुना सोमवारिया का बटांकन किया जाय। तहसीलदार उज्जैन के यहॉ पूर्व से प्रचलित प्रकरण कमांक 99 बी-121/2000-01 नवीन दायरा प्रकरण कमांक 10 अ-3/2000-01 पॅजीबद्व किया गया एंव नगर निगम उज्जैन तथा नजूल विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29-6-2001 पारित करके वादग्रस्त भूमि के बटा नंबर कायम कर दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन ने प्रकरण कमांक 28/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2001 से तहसीलदार उज्जैन का आदेश दिनांक 29-6-2001 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन ने प्रकरण कमांक 104/2001-902 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-10-2002 से तहसीलदार उज्जैन का आदेश दिनांक 29-6-2001 एंव अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन का आदेश दिनांक 15-10-2001 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार उज्जैन को पक्षकारों की पुनः साक्ष्य एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 7-10-2002 के विरूद्व राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 70-तीन/2003 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-6-2013 से निगरानी स्वीकार कर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन का आदेश दिनांक 7-10-2002 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई एंव पक्ष समर्थन का अवसर देकर विस्तृत विवेचना के साथ पुनः आदेश पारित करने हेतु वापिस किया। अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर के इस आदेश के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय खंड पीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन दायर हुई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 13633/13 में पारित आदेश दिनांक 17-4-14 से निम्नानुसार आदेश हुये-

Keeping in view the aforesaid judgment of the Apex Court this Court is of the considered opinion that the Board of Revenue has not committed any jurisdictional error nor the openian suffers from any patent illegality. The Commissioner, Ujjain has been directed to consideration all the facts while -----

माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग ने हितबद्व पक्षकारों की पुर्नसुनवाई की एंव प्रकरण कमांक 66/ 2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-2017 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन का आदेश दिनांक 15-10-2001 निरस्त करते हुये तहसीलदार उज्जैन के आदेश

दिनांक 29-6-2001 को यथावत् रखा। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदकगण के अभिभाषक व्दारा लेखी बहस प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने लिखित बहस में बताया है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 124 से धारा 129 तक के प्रावधानों में बटांकन की व्यवस्था दी गई है धारा 124 के अनुसार ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्याओं या भूखंड संख्याओं के सीमा-चिन्हों का निर्धारण होगा। समस्त ग्रामों की सीमाऐं नियत की जावेंगी तथा स्थायी सीमा चिन्ह व्दारा सीमांकन किया जावेगा। यह प्रावधान केवल गांवों की कृषि भूमि के संबंध में है जबकि विवादित भूमि स्वीकृत रूप से उज्जैन नगरपालिक निगम की सीमा में स्थित होकर संहिता की धारा 2 जेड-4 के अनुसार नगरीय भूमि है जिसके कारण किया गया सीमांकन एंव बटांकन गलत है अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार के आदेश को ठीक ही निरस्त किया है किन्तु अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी को गलत ढंग से निरस्त किया है इसलिये निगरानी स्वीकार की जावे।

5/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों तथा लिखित बहस के तथ्यों के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक की ओर से सीमांकन एंव बटाकंन कार्यवाही पर आपत्ति की गई , जिसके कम में तहसीलदार उज्जैन व्दारा प्रकरण कमांक 99/बी-121/2001-02 नवीन दायरा नंबर 10 अ-3/2000-01 में पारित आदेश दि. 29-6-2001 अवलोकन पर आदेश के पद 5 का उद्धरण इस प्रकार है-

पद 5 - राजस्व अभिलेख नक्शा शीट में सर्वे नंबर 726 रकबा 5-204 हैक्टर है जिसमें 4-180 हैक्टर है जिसमें 4-180 हैक्टर आबादी एंव 1-024 हैक्टर कब्रस्तान दर्ज है लेकिन रिकार्ड में प्रथक प्रथक बटा नंबर नहीं हैं। मिसल बंदोवस्त संबत 1984 उक्त सर्वे नंबर में आबादी दर्ज है। सन 1950-51 के खसरा में सर्वे नंबर 726 में से कब्रस्तान 5 वीघा अंकित है । पत्र में उल्लेखित स्थितियों को दर्शाते हुये सन 1938 नगर निगम उज्जैन की सर्वे शीट नं. एंव दिनांक 1-5-99 की सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुसार मौके पर सर्वे नंबर 726 में से रकबा 0-150 हैक्टर पर कब्रिस्तान का मलान होता है तदुनसार रकबा 0-150 हैक्टर का बटा नंबर कब्रस्तान का किया जा सकता है। बटा नंबर फर्द सहमति हेतु संलग्न भेजी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 वक्फ बोर्ड भोपाल के उक्त ज्ञाप के तारतम्य में लेख किया है कि सर्वे नंबर 726 रकबा 1-024 है. को कब्रस्तान घोषित किया है रकबा 1-124 हैक्टर का बटान तैयार करके बटान करें व इस कार्यालय व्दारा प्रेषित अतिकमणकारी 92 की पुष्टि करें।

पद 7 का अंश 2 - प्रकरण पंजी में प्रस्तुत कागजात, तथ्य एंव मौके के मान से कस्बा उज्जैन की भूमि सर्वे नं. 726 में से रकबा 1-024 हैक्टर (मोके पर 0-150 है. कब्रस्तान एंव शेष मकानात बने हैं) पर कब्रस्तान जूना सोमवारिया एंव रकबा 4-180 हैक्टर पर आबादी अंकित करते हुये बटा नंबर किया जाता है।

तहसीलदार उज्जैन व्दारा उपरोक्तानुसार मौके की स्थिति अनुसार गणना करते हुये आदेश दिनांक 29-6-2001 से वादग्रस्त भूमि का बटांकन किया है। तहसीलदार उज्जैन के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के आदेश दिनांक 15-10-01 का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आदेश व्दारा तहसीलदार के आदेश को इसलिये निरस्त किया है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी म0प्र0 वक्फ बोर्ड भोपाल व्दारा दिनांक 10-9-2001 को पारित आदेश में विवादित भूमि पर अनावेदकों व्दारा वक्फ संपत्ति कब्रस्तान भूमि पर अतिक्रमण होना सिद्ध नहीं पाये जाने से शिकायती आवेदन पत्र निरस्त कर दिया है। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वादग्रस्त भूमि की मौके की स्थिति के मान से नहीं है जबकि तहसीलदार उज्जैन ने नगर निगम उज्जैन की सहमति प्राप्त की है एंव मौके की पैमाइश करवाई है पटवारी अभिलेख एंव अन्य दस्तावेजों की स्थिति अनुसार मिलान किया है। यहां तक कि मिसल बंदोवस्त संबत 1984 के अभिलेखों का भी अनुसरण किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने आदेश दि. 12-10-2017 में विस्तृत विवेचना करते हुये अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन के आदेश दिनांक 15-10-01 को भ्रामक एंव त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त करते हुये तहसीलदार उज्जैन के आदेश दिनांक 29-6-2001 को सही मानते हुये यथावत् रखा है, जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 12-10-2017 से असहमत होने का निगरानी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस में कोई आधार परिलक्षित नहीं है।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 124 से धारा 129 तक के प्रावधानों में बटांकन की व्यवस्था होने से धारा 124 के अनुसार ग्रामों तथा सर्वेक्षण संख्याओं या भूखंड संख्याओं के सीमा-चिन्हों का निर्धारण होगा। आवेदक के अभिभाषक का यह आधार उचित नहीं है। तहसीलदार उज्जैन व्दारा मौके की स्थिति के अनुसार आदेश दिनांक 29-6-2001 से वादग्रस्त भूमि का बटांकन किया है । राजस्व अभिलेख नक्शा शीट में वादग्रस्त भूमि सर्वे नंबर 726 रकबा 5-204 हैक्टर अंकित रहा है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 से 71 तक में सर्वेक्षण संख्याँकों को पुर्नक्रमांकित या उप विभाजित किये जाने का प्रावधान है तथा संहिता की धारा 124 में ग्रामों के बीच सर्वेक्षण संख्याकों या भूखंड संख्याकों के सीमा चिन्हों के सन्निर्माण की व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने आदेश दिनांक 12-10-2017 में विस्तृत विवेचना करते हुये अंकित किया है कि अतिक्रमण होना अथवा नहीं होना और बटे

नंबर होना दो प्रथक प्रथक विषय है। बटा नंबर कायम करने का अधिकार सिर्फ तहसीलदार को है। तहसीलदार ने अभिलेख अनुसार सर्वे नंबर 726 के बटे नंबर स्वीकृत करने में कोई त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन ने तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही को नियमानुसार मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के आदेश दिनांक 12-10-2017 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण कमांक 66/ 2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-10-2017 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस०एस०अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर